संख्या-193/2026/1574/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2026

विषय – जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद चन्दौली में शासनादेश संख्या-79/2026/552/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026 दिनाक 30 मार्च, 2026 द्वारा 64 स्वीकृत निर्माण कार्यों मे से 04 कार्यों हेतु (शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-07, 10, 40, 42 पर अंकित) की अनुमोदित लागत रू0 89.34 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किशत के रूप में धनराशि रु0 23.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्र सख्या-551/त्व०आ०वि०/2025-2026 दिनांक 05 सितम्बर, 2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना अंकित करते हुए एवं टेण्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि व बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रु० 61.22 लाख (रुपये इकसठ लाख बाईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)	गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबंध के आधार पर (18%जीएसटी)	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत(जीएसटी सहित)	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्रमा पंचायत विशुनपुरवां में सुरेन्द्र दुबे के खेत से रामधनी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	32.05	23.10	4.16	4.79	27.26	8.00	19.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत रामपुर धन्नू में सन्त रविदास राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	18.14	15.24	2.74	0.16	17.98	5.00	12.98
3	विकासखण्ड - चहनियां के ग्रामसभा मोलनापुर में हरधन जुडा मोलनापुर पहाड़पुर मार्ग से अरविंद के घर की तरफ पिच रोड का निर्माण कार्य।	18.02	15.20	2.74	0.08	17.94	5.00	12.94
4	विकासखण्ड - चहनियां के ग्राम छपरा में बलुआ टाण्डा मार्ग से छपरा तुडका मार्ग पर पिच रोड से संपर्क मार्ग का निर्माण।	21.13	17.83	3.21	0.09	21.04	5.00	16.04
	योग-	**89.34**	**71.37**	**12.85**	**5.12**	**84.22**	**23.00**	**61.22**

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर अपलोड काराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप, संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रु० 61.22 लाख (रुपये इकसठ लाख बाईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप, संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त् सचिव।

संख्या-193/2026/1574(1)/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
13. अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग चन्दौली ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।